

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005

ईमेल—dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141-2740538,2741687

वेबसाईट:— rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:— निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21/1791-1824-K

दिनांक:— 21/12/2021

कोषाधिकारी,
समस्त।


विषय:— राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक बैंकों के स्थान पर माह दिसम्बर की पेंशन (दिनांक 01.01.2022 को देय है) का भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा पे-मैनेजर से करवाने बाबत।
संदर्भ:— इस कार्यालय का पत्रांक 1746-1780-K दिनांक 17.12.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय में उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में लेख है कि:—

1. इस विभाग से जारी की गई **LTA** की अधिकृति का भुगतान कोषालय द्वारा किया जावेगा तथा उसके पश्चात्‌वर्ती मासिक पेंशन भुगतान निदेशालय पेंशन विभाग द्वारा पे-मैनेजर से किया जाएगा।
2. जिन मामलों में पेंशनर की मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक पेंशन शुरू करने हेतु पत्रावली कोषालयों में प्राप्त लंबित है, उनको पारिवारिक पेंशन का प्रथम भुगतान कोषालयों द्वारा किया जावेगा तथा पश्चात्‌वर्ती मासिक पारिवारिक पेंशन भुगतान की प्रक्रिया इस विभाग द्वारा पे-मैनेजर के माध्यम से संपन्न की जावेगी।
3. ऐसे सभी प्रकरण जो कोषालयों द्वारा पश्चात्‌वर्ती मासिक भुगतान हेतु बैंको को भेजे गये हैं, परन्तु बैंको द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक भुगतान नहीं किया जाता है तो कोषालयों में वापिस मंगवाकर ऐरियर यदि कोई है, का भुगतान कर पश्चात्‌वर्ती भुगतान हेतु इस निदेशालय को भिजवाया जावेगा।
4. सभी पेंशनर्स की पत्रावली बैंको से वापिस मंगवाई जानी है, जिसके लिए निर्देश अलग से जारी किए जावेगे, परन्तु पत्रावलियाँ मंगवाने से पूर्व कोषालय एवं बैंक के मध्य मिलान कर Mismatch को दूर किया जाए एवं पत्रावलियों के संधारण हेतु रिकार्ड रूम की व्यवस्था कोषालयों अथवा कलेक्ट्रेट परिसर में तथा यदि कोषालय/कलेक्ट्रेट परिसर में स्थान रिक्त नहीं होने की स्थिति में आस-पास किराये से लेने की व्यवस्था करने की प्रारम्भिक तैयारी करवाने की व्यवस्था करावें एवं ऐसे स्थान को चिन्हित कर सूचित करें ताकि संबंधित जिला कलेक्टर से चिन्हित स्थान उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जा सके एवं राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद पत्रावली सुरक्षित रूप से संधारित की जा सके।

भवदीय



(संजय सोलंकी)

निदेशक